


न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय, म०प्र० राजस्व मण्डल ग्वालियर  
(म०प्र०)

96

श्री कोलिवट विद्यापीठ  
द्वारा चेक / ०५-०५-१३

मलकें आफ कोर्ट  
राजस्व मण्डल, म०प्र०  
ग्वालियर



R - 1609 - III/13

रामयश तनय चन्द्रशेखर प्रसाद ब्रा० निवासी ग्राम लोढ़ वढ़ैया थाना लौर तहसील  
मऊगंज, जिला रीवा (म०प्र०) .....आवेदक / निगरानीकर्ता

बनाम

1. अनिल कुमार तनय अरुण कुमार ब्रा०।
2. राजकली बेबा पत्नी गुरु प्रसाद ब्रा० दोनो निवासी ग्राम लोढ़ वढ़ैया थाना थाना  
लौर तहसील मऊगंज, जिला रीवा (म०प्र०)

..... अनावेदकगण / गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय अपर  
आयुक्त रीवा संभाग रीवा म०प्र० के  
प्रकरण क्रमांक 1111/अपील/06 में  
पारित आदेश दिनांक 06.02.13  
निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०भू०रा०  
संहिता सन 1959 ई०।

मान्यवर,

निगरानी ज्ञापन के संक्षिप्त विवरण -

1. यह कि आवेदित भूमि खसरा नं० 48/1/2 रकवा 0.22ए० स्थित ग्राम लोढ़  
वढ़ैया तहसील मऊगंज, आवेदक व अनावेदक क्र० 2 राजकली के ससुर  
रामसुरा ब्रा० की पैतृक सहखाते की भूमि थी जिसका मौके पर आपसी  
विभाजन था आवेदित भूमि के साथ अन्य भूमि खसरा क्रमांक 74/5ग रकवा  
0.30ए०, स्थित ग्राम लोढ़ वढ़ैया तहसील मऊगंज, निगरानी कर्ता तथा गैर  
निगरानीकर्ता क्रमांक 2 की पैतृक भूमि थी उक्त दोनो भूमियों <sup>मे से</sup> ख० क्रमांक  
74/5ग रकवा 0.30ए० मे से 0.15ए० अनावेदक क्रमांक 2 के ससुर को  
हिरसे मे मिली थी उक्त दोनो भूमियों को अपने-अपने सुविधा की दृष्टि से


रामयश चन्द्रशेखर

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R. 1609-लीन/113

जिला- शीवा'

पक्षकार का नाम रामपरा शर्मा/ अनिल कुमार शर्मा

| (1)      | (2)   | (3) |
|----------|---|-----|
| 28.12.17 | <p>प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>2-आवेदक तथा आवेदक अधिवक्ता की पुकार कराई गई किन्तु कोई उपस्थित नहीं। अतः संहिता की धारा 35 (2) के तहत प्रकरण आदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</p> <p>3- आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे। तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।</p> <p style="text-align: right;"><br/>सदस्य</p> |     |